बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 28.3.17

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते है । अनुसूची -1(ब) के स्तभं -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई,2016	280	4.63 X4.93	6391.25
अगस्त,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
सितम्बर,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
अक्टूबर,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
नवम्बर,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
दिसम्बर,2016	275	4.63 X4.93	6277.12
			योग :-38005.11

औसत :- **38005.11÷ 6**

= 6334.18

अनुससूची-1(ब)

कृषि नियोजन, अधिसूचना सं0- 4973, 4974 दि0- 29.11.2016

(गजट संख्या-1023 दिनांक 30.11.2016)

अनुसूची-।।

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2017 से प्रभावी होगी। (रुपये में)	दि0-01.04.2017 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4) (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यो के लिए ।	227.00	5.00	232.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर ।	8168.00	163.00	8331.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी / पम्प खलासी/ चौकीदार/सिपाही/ हलवाहा ।	6355.00	127.00	6482.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा ।		

परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है । उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा । परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस विन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा । उक्त परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई-दिसम्बर, 2016** के औसत के आधार पर **अप्रैल,2017** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-402/09 श्र0सं0- 1199)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.17

(अरूण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

F:/-M.W. V.D.A from 01-04-2017- 2

अधिसूचना ।

पटना, दिनांक- 28.3.17

एव0 ओ0 - दिनांक का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-402/09 श्र0सं0- 1210)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.17

(अरूण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

NOTIFICATION

Patna, dated- 28.3.17

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE- 1-(A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July,2016	280	4.63 X4.93	6391.25
August,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
September,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
October,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
November,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
December,2016	275	4.63 X4.93	6277.12
		Total	**38005.11**
		Average :-	**38005.11÷ 6 = 6334.18**

Schedule-1(B)
Agriculture Operations
Notification No. - 4973, 4974 dated- 29.11.2016
Gazette No.- 1023 dated- 30.11.2016
Schedule-II

Sl	Category of Workers	From Dated- 01.12.2016 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A which is effective from the date 01.04.2017	Total rates of Wages effective from the date 01.04.2017 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1	All other agricultural operations except harvesting	227.00	5.00	232.00 Perday
2	Tractor Driver and Pump operator	8168.00	163.00	8331.00 Permonth
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	6355.00	127.00	6482.00 Permonth
4	Harvesting	**One bundle in 10 bundle of harvested crops.**		

The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December, 2016** will be payable at the aforesaid rates form **April,2017** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No- 5/M.W- 402/09 L&R- 1199)
By the order of the Governor of Bihar,

28.3.17
(Arun Kumar No.-1)
Under Secretary.